निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 1/2015 तारीख दायरा 01.05.2015

उनवान

1. मोहनलाल आत्मज जगन्नाथ जाति महाजन निवासी बपावरकलां तहसील सांगोद।
   – प्रार्थी

बनाम

1. मुरलीधर आत्मज जगन्नाथ,
2. बाबूलाल आत्मज जगन्नाथ,
3. टीकमचंद आत्मज जगन्नाथ, समस्त जाति महाजन निवासीगण पुराना बाजार जगन्नाथ मंदिर के पास, बपावरकलां तहसील सांगोद।
4. हेमराज आत्मज जगन्नाथ जाति महाजन निवासी ए–77, जयश्री विहार डकनिया स्टेशन के पास, तहसील लाडपुरा जिला कोटा। – प्रार्थी
5. सोहनलाल आत्मज जगन्नाथ जाति महाजन निवासी लंका चौका खण्डेलवाल जनरल स्टोर, बपावरकलां तहसील सांगोद।
6. शीला कुमारी पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन पत्नि नरेंद्र गुप्ता निवासी शील भवन, कोटड़ी रोड गुमानपुरा, कोटा।
7. सावित्री देवी पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन पत्नि घनश्याम खण्डेवाल निवासी मकान न0 1191–ए, आर0के0पुरम तह0 लाडपुरा कोटा।
8. शारदा देवी पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन पत्नि रामावतार खण्डेलवाल निवासी मकान न0 4–एम–11, दादाबाड़ी विस्तार, कोटा।
9. शकुन्तला देवी पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन पत्नि ओमप्रकाश खण्डेलवाल निवासी सरदार कॉलोनी, स्टेशन रोड, अन्ता तह0 अन्ता जिला बारां।
10. मन्जू पुत्री स्व0 शान्ति देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ जाति महाजन पत्नि रमेश जी, बडे हॉस्पिटल के पास 17–बी,सीविल लाइन्स, नयापुरा तह0 लाडपुरा कोटा।
11. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा। – अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:15 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत लटूरी दिनांक 20.07.2004

इन्तकाल नं0 12 ग्राम बरूखेडी तह0 सांगोद

अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

श्री रामप्रसाद नागर (वकील प्रार्थी) दिनांक :– 21.11.2022

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील अप्रार्थीगण)

–– निर्णय ––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम जगन्नाथ आत्मज औंकार जाति महाजन निवासी ग्राम बपावरकलां के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम बरूखेडी तहसील सांगोद में स्थित कुल 17 किता की 9.58 हेक्टर कृषि भूमि के संबंध में खातेदार जगन्नाथ की मृत्यु हो जाने पर अपीलाण्ट की लाइल्मी में हलका पटवारी लटूरी द्वारा केवल रेस्पो0 नं0 2 बाबूलाल की साजिशपूर्ण सूचना पर मृतक खातेदार जगन्नाथ के वारिसान केवल रेस्पो0 नं0 1 लगायत 9 होना अंकित कर अपीलाण्ट एवं स्व0 श्रीमति शान्ति देवी पुत्री स्व0 जगन्नाथ रेस्पो0 नं0 10 मन्जू देवी जीवित मौजूद होते हुए भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के विपरीत स्व0 जगन्नाथ की पुत्रियों द्वारा बिना किसी रजिस्टर्ड रिलीज डीड कोई हिस्सा न लिया जाना अंकित कर केवल रेस्पो0 नं. 1 लगायत 5 के पक्ष में ही इन्तकाल नं0 12 तस्दीक कर दिया है। उक्त इंतकाल आदेश की अप्रसन्नता से ही अपीलाण्ट निम्न कारणों से उक्त इन्तकाल आदेश का पूर्ण ज्ञान होने की तिथि से अवधि मध्य निम्न कारणों से यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।

अपीलाधीन इन्तकाल नं0 12 ग्राम बरूखेडी तहसील सांगोद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 40 के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत लटूरी के सरपंच द्वारा उक्त इन्तकाल खातेदार स्व0 जगन्नाथ महाजन बपावरकलां के वारिसान के संबंध में पूर्ण जानकारी लिये बिना ही रेस्पो0 नं0 2 बाबूलाल की साजिश से अपीलाण्ट की लाइल्मी में तस्दीक किया गया है, जो गैर कानूनी होने से निरस्त होने योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

..वन की धारा 8 एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 40 के प्रावधानों के मुताबिक स्व0 खातेदार जगन्नाथ महाजन के प्रथम अनुसूची में वर्णित समस्त वारिसान उसके पुत्र एवं पुत्रियों को उसके खाते की कृषि भूमि पर उत्तराधिकार प्राप्त होते हुए भी केवल रेस्पो0 नं0 2 बाबूलाल एवं हलका पटवारी की साजिश से अपीलाण्ट एवं जगन्नाथ खातेदार की स्व0 पुत्री शान्ति देवी की पुत्री रेस्पो0 नं. 10 जीवित मौजूद होते हुए भी उनका पारिवारिक वंश वृक्ष में नाम अंकित न कर तथा रेस्पो0 नं. 6 लगायत 10 पुत्रियों द्वारा भी बिना पंजीकृत रिलीज डीड उनकी अनुपस्थिति में कोई हिस्सा न लिया जाना अंकित कर उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है, जो सर्वथा अनुचित एवं अवैध होने से निरस्त होने योग्य है।

अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 नं. 1 ता 5 अपने पिता जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद भी वादग्रस्त भूमि का संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यगण के रूप में शामलाती तौर पर उपभोग करते आ रहे हैं तथा रेस्पो0 नं0 2 बाबूलाल की कुल कृषि भूमि की देखरेख करता रहा है, इस कारण अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, किन्तु इस वर्ष अपीलाण्ट को अपने पुत्र–पुत्रियों की शिक्षा के लिए रूपयों की आवश्यकता होने पर अपीलाण्ट द्वारा ग्राम सेवा सकारी समिति से अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने हेतु हलका पटवारी से अपने खाते की भूमि की नकल मांगने व हलका पटवारी द्वारा अपीलाण्ट के नाम कोई भूमि न होना बताने पर अपीलाण्ट द्वारा अपने पिता स्व0 जगन्नाथ महाजन के फौती इन्तकाल के संबंध में जांच पडताल कर जिला रिकॉर्ड रूम कलेक्ट्री कोटा से इन्तकाल न0 12 की प्रमाणित नकल दिनांक 21.11.2013 को प्राप्त करने पर उक्त त्रूटिपूर्ण इन्तकाल का ज्ञान हुआ है तथा इसके तुरन्त बाद ही अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय में दिनांक 23.11.2013 को अपील प्रस्तुत कर दी गई थी।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन इन्तकाल नं0 12 ग्राम वरूखेडी तहसील सांगोद दिनांक 20/07/2004 निरस्त किया जाकर स्व0 खातेदार जगन्नाथ महाजन वपावरकलां के खाते की भूमि के संबंध में अपीलाण्ट सहित समस्त वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज करने हेतु आदेशित किया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वह ... फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर ... दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण 1 ता 11 की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

कुमार शर्मा द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी 2 एवं 5 की ओर से वकील श्री दिनेश कुमार गौतम द्वारा वकालतनामा पेश किया गया परन्तु कई अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अप्रार्थी सं. 2 व 5 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी सं. 2 व 5 का जवाब बंद कर दिया गया। अप्रार्थी सं. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 11 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होना व्यक्त किया गया। इसके बाद पत्रावली बहस में नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थना पत्र निर्णित करने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया जिससे प्रतीत होता है कि अपीलाधीन इन्तकाल नं0 12 ग्राम बरूखेडी तहसील सांगोद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 40 के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है जो स्व0 जगन्नाथ महाजन बपावरकलां के वारिसान के संबंध में पूर्ण जानकारी लिये बिना तथा रेस्पो0 नं. 6 लगायत 10 पुत्रियों द्वारा भी बिना पंजीकृत रिलीज डीड उनकी अनुपस्थिति में कोई हिस्सा न लिया जाना अंकित कर उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है, जो सर्वथा अनुचित एवं अवैध है।

अतः आदेश दिया जाता है कि इन्तकाल नं0 12 ग्राम बरूखेडी तहसील सांगोद दिनांक 20/07/2004 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 40 के प्रावधानों के विपरित दर्ज होने से निरस्त किया जाता है तथा ग्राम पंचयात लटूरी को प्रकरण में मृतक जगन्नाथ महाजन के विधिक वारिसान की पुनः जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022को खुले न्यायालय में [illegible] कर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 14:17:15 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा